



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 59-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 8, 2021 (CHAITRA 18, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अप्रैल, 2021

संख्या 7/6/2021-2TCP.— गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 की उप धारा (3) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 12.07.2017 को सरकार द्वारा अधिसूचित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर तथा नगर निगम, गुरुग्राम एवं नगर निगम, मानेसर की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखित पर विनिर्दिष्ट राशि का 1% की दर से होगा।

शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संग्रहित किया जाएगा तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जाएगा। जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी अचल संपत्ति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थित है।

ए० के० सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 8th April, 2021

No. 7/6/2021-2TCP.— In exercise of the power available under Sub-section (3) of Section 41 of Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017, the Governor of Haryana directs that the duty on the transfer of immovable properties situated within the limits of the Gurugram Metropolitan Area notified by the Government on 12.07.2017 and within the limits of Municipal Corporation, Gurugram or Municipal Corporation, Manesar, shall, in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, be at a rate of 1 per centum of the amounts specified on every instrument of the description specified in sub-section (3) of section 41 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.

The duty shall be collected, at the time of registration of documents by the Registrar or Sub-Registrar under the Indian Stamp Act, 1899 and paid to the Gurugram Metropolitan Development Authority.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town & Country Planning Department.